

कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा/प्रारं/बजट/बी-4/9806/2016-17/4

दिनांक- 20/11/16

ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी
पंचायत समिति

विषय:- चिकित्सा मद में विशेष बजट आवंटन के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके मांग पत्र के क्रम में मांग संख्या-30 के तहत बजट मद 2202-सामान्य शिक्षा, 01-प्रारम्भिक शिक्षा, 197-ब्लॉक स्तर/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता, (08) जनजाति क्षेत्रों में उ.प्रा.वि.(बालक), [01] स्थापना व्यय (आयोजना भिन्न व्यय) अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिये निम्नानुसार गम्भीर रोग से ग्रसित कार्मिक को बकाया चिकित्सा पुनर्भरण हेतु राशि का आवंटन किया जा रहा है। राशि का उपयोग सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम 2008/2013 के अनुसार किया जावे:-

क्र.स.	IFMS UID CODE	नाम बीईईओ कार्यालय	आवंटित राशि	कर्मचारी का नाम मय कार्यरत स्थान
1	1442	गिर्वा (उदयपुर)	65,000/-	श्री मोहन लाल तेली शा.शि. रामावि. गोरेला के गंभीर रोग के ईलाज पर हुवे व्यय के पुर्नभरण हेतु।
2	1663	तलवाडा (बांसवाडा)	94,000/-	श्री लोकेश पण्ड्या शा.शि.राउप्रावि. नई बस्ती कूपडा के गंभीर रोग के ईलाज पर हुवे व्यय के पुर्नभरण हेतु।
3	1672	सागवाडा (डूंगरपुर)	94000/-	श्री दिनेश चन्द्र पाटीदार अ. राउप्रावि. ओबरी की माता के गंभीर रोग के ईलाज पर हुवे व्यय के पुर्नभरण हेतु।
4	1684	प्रतापगढ (प्रतापगढ)	80000/-	श्री गुलाब चन्द जैन अ.राउप्रावि. छायाण के गंभीर रोग के ईलाज पर हुवे व्यय के पुर्नभरण हेतु।
5	1672	सागवाडा(डूंगरपुर)	1,11,000/-	श्री नारायण लाल पण्ड्या व.अ. राउप्रावि.फलातेड की पत्नि के गंभीर रोग के ईलाज पर हुवे व्यय के पुर्नभरण हेतु।
6	1666	बागीदौरा (बांसवाडा)	61,000/-	श्री खुमान सिंह कटारा अ.राप्रावि. हाण्डी के गंभीर रोग के ईलाज पर हुवे व्यय के पुर्नभरण हेतु।
		योग	5,05,000/-	

(अखरे पांच लाख पांच हजार रुपये मात्र)

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.5(थ-75)कोष/IFMS/कोषालय/23484-23623 दिनांक 13.12.2013 के तहत IFMS अंतर्गत कोषालय द्वारा प्रत्येक माह की 1 से 10 तारीख तक किये आय-व्यय के आंकड़ों का मिलान 14 तारीख तक एवं 11 तारीख से माह के अन्त तक का मिलान आगामी माह की 3 तारीख तक आवश्यक रूप से किया जावे।

उपरोक्त राशि का आवंटन इस शर्त के साथ जारी किया जा रहा है, कि राशि का भुगतान संबंधित कर्मचारी को चिकित्सा पुनर्भरण नियमानुसार करने का दायित्व संबंधित अधिकारी का होगा। यदि अधिक भुगतान होता है तो वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक F.9(14)fd/rules/2005/pt जयपुर दिनांक 22.7.2014 के अनुसार रिकवरी सुनिश्चित करें।


लेखाधिकारी

प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हक, राज.जयपुर
2. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक) माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर
3. सहायक लेखाधिकारी अंक मिलान अनुभाग
4. संबंधित कार्मिक/रक्षित पत्रावली।


लेखाधिकारी